## 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का

## बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण

## तालिका डीएफ - 1: प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार

#### बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक

#### (i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
पश्चिम बंगा ग्रामिण बेंक	हाँ	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक सहायक संस्था, अतः विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है। निवेश 250% जोखिम भारित है

- क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची पश्चिम बंगा ग्रामिण बैंक
- ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय जिस देश शामिल	रा में	निकाय की प्रमु गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)		निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नर्ह	Ť	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

#### (ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

## ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	 निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

### घ. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत किमयों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

### ङ. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण-चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	गतिविधि	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध:

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर दिनाक 31 मार्च 2023 को कोई प्रतिबन्ध अथवा अवरोध नहीं है

## **BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2023 UCO BANK**

#### Table DF - 1:

## Scope of Application

#### Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK. (i) Qualitative Disclosures: Name of the Whether the entity Explain the Explain the reasons Explain the reasons if Explain the Whether the entity is included under method of for difference in the consolidated under entity / Country of method of is included under accounting scope of consolidation regulatory scope of consolidation method of only one of the scopes incorporation consolidation consolidation consolidation of consolidation (ves / no) (yes / no) Paschim Banga **Equity Method** NA NA Entity is Regional Rural Yes Nο Bank, an associate, Gramin Bank basis as per hence outside the pur-(PBGB) AS-23 issued view of regulatory conby ICAI solidation. Investment is risk weighted at 250% a. List of group entities considered for consolidation - Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation Total balance sheet Regulatory Name of the Principle Total balance sheet equity % of bank's holding treatment of bank's assets (as stated in entity / country activity of (as stated in the accounting in the total equity investments in the the accounting of incorporation the entity balance sheet of the legal balance sheet of the capital instruments entity) legal entity) of the entity NA NA NA NA NA (ii) Quantitative Disclosures: c. List of group entities considered for consolidation Total balance sheet equity (as Total balance sheet assets (as Name of the entity /country Principle activity stated in the accounting balance stated in the accounting balance of incorporation (as of the entity sheet of the legal entity) sheet of the legal entity) indicated in (i)a. above) NA NA NA NA d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: Name of the subsidiaries / Principle activity Total balance sheet equity % of bank's holding Capital deficiencies (as stated in the accountcountry of incorporation of the entity in the total equity ing balance sheet of the legal entity) NA NA NA NA e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are riskweighted: Quantitative impact on Name of the insurance Principle activity Total balance sheet equity % of bank's holding in the total equity / pro-portion of voting power regulatory capital of using (as stated in the accountentities / country of of the entity risk weighting method ing balance sheet of the incorporation versus using the full deduction method

NA

NA

legal entity)

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2023.

NA

NA

NA

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

## तालिका डी एफ - 2 पूंजी पर्याप्तता

#### गुणात्मक प्रकटीकरण (क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है। प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में) (ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः • मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन पोर्टफोलियो 9876.54 • प्रतिभृतिकरण एक्सपोजर शून्य (ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः • मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण 944.65 • ब्याज दर जोखिम 790.09 • विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) 5.18 • ईक्विटी जोखिम 103.92 (घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताः • बुनियादी सूचक दृष्टिकोण 1892.95 • मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो) (ভ) सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात : • सामान्य ईक्विटी टियर 1 13.51% टियर 1 13.51% • कुल पूँजी अनुपात 16.51% शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए लागू नहीं महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या लागू नहीं उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)

## Table DF - 2 Capital Adequacy

	Qualitative Disclosures						
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.						
Qua	antitative Disclosures	(₹ in crore)					
(b)	Capital requirements for Credit Risk :						
	Portfolio subject to Standardized Approach	9876.54					
	Securitization Exposures	Nil					
(c)	Capital requirements for Market Risk :						
	- Standardized Duration Approach	944.65					
	Interest Rate Risk	790.09					
	Foreign Exchange Risk (including Gold)	5.18					
	• Equity Risk	103.92					
(d)	Capital requirements for Operational Risk :  Basic Indicator Approach The Standardised Approach (if applicable)	1892.95					
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:						
	Common Equity Tier I	13.51%					
	• Tier I	13.51%					
	Total Capital ratios	16.51%					
	<ul> <li>For the top consolidated group</li> <li>For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)</li> </ul>	Not Applicable Not Applicable					

## ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेत् सामान्य प्रकटीकरण

### गुणात्मक प्रकटीकरण

#### क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेत्)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है —

- i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- ii. ओवरडाफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- iii. खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
- iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
- v. दीर्घाविध की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।
- किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब
- i. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।
- ii. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

#### ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक <u>की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेश</u>क मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- i. ऋण जोखिम अधिग्रहण कार्यनीति एवं नीतियां
- ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
- iii. ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
- v. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण को छोड़ कर) से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरें ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाई जाती हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आती हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

## गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में )	संवितः	रण
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर (ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण	161629.45	10929.96
देशी	139431.95	10304.98
विदेशी	22197.50	624.98

Б.	का नाम		पोजर
_		निधि आधारित	गैर निधि आधारि
	खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	302.53	126.46
5.1	कोयला	33.52	120.55
	अन्य	269.01	5.92
 I.	खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख5)	1,420.49	342.25
	ख.1 चीनी	101.11	6.24
	ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	243.60	220.37
	ख.3 चाय	257.04	6.92
	ख.4 कॉफी	0.00	0.00
	ख.5 अन्य	818.74	108.72
	मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू	72.76	15.39
•	जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद		
	वस्त्र (क से च तक)	49.56	0.00
•	क. सूती वस्त्र	731.99	168.70
	ख. जूट	346.97	77.08
	ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	6.80	2.82
	घ. सिल्क	0.00	0.00
	ङ. जी	0.00	0.00
	च. अन्य	0.00	0.00
/ or	थात कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	378.21	88.81
	चर्म एवं चर्म उत्पाद	0.00	0.00
	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	26.88	0.01
	कागज एवं कागज उत्पाद	42.27	3.08
•	·	168.47	71.93
•	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)	348.15	53.80
•	इ.1 उर्वरक	517.00	171.59
		2.12	0.16
	झ.2 औषध एवं फर्मास्यूटिकल्स	187.61	15.75
	झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचाको छोड़कर) झ.4 अन्य	18.68	53.46
		308.60	102.23
•	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	130.33	25.33
	कांच एवं कांच के सामान	49.59	0.00
	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	110.21	42.00
	धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)	2,839.49	734.45
	ड.1 लोहा एवं इस्पात	2,375.00	579.07
	ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	464.48	155.38
	समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2	994.77	922.04
	ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	131.89	163.23
	ण.२ अन्य	862.89	758.81
	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	25.05	0.00
•	रत्न एवं जेवर	106.23	0.02
•	विनिर्माण	584.30	1516.39
	आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)	16,779.70	2,402.40
	क. यातायात (क.1 से क.6)	2,920.99	759.70
	क.1 पथ एवं पुल निर्माण	2754.93	759.70
	क.2 बंदरगाह	47.76	0.00
	क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
	क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
	क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	118.30	0.00
	क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	110.00	0.00

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग	का नाम	-	क्सपोजर
		निधि आधारित	गैर निधि आधारि
ख.	ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	11,988.34	1,050.76
	ख.1 बिजली (उत्पादन)	4854.68	810.32
	ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	1408.16	0.00
	ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	221.47	616.73
	ख.1.3 निजी क्षेत्र	3225.05	193.59
	ख 2 बिजली (संचारण)	985.55	0.00
	ख 2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
	ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	981.77	0.00
	ख.2.3 निजी क्षेत्र	3.78	0.00
	ख.3 बिजली (वितरण)	1771.28	240.44
	ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
	ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1771.28	240.44
	ख.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
	ख.4 तेल पाईपलाइन	368.06	0.00
	ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	4008.77	0.00
	ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग.	जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	295.28	141.80
	ग.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंध	0.00	0.00
	ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाईन	270.27	0.00
	ग.3 जलशोधन संयंत्र	25.01	141.80
	ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
	ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
	ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ.	संचार (घ.1 से घ.2)	60.54	0.00
	घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	0.00	0.00
	घ.2 दूरसंचार टॉवर	60.54	0.00
ङ	सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.१ से इ.९)	1514.55	450.14
ङ.1	शिक्षण संस्थाएं (पूंजी स्टॉक)	97.55	11.36
ङ.2	अस्पताल (पूंजी स्टॉक)	117.14	0.82
ङ.3	1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन	0.00	0.00
	सितारे वाले वर्गीकृत होटल		
ভ.4	अौद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के	1255.95	437.64
•••	लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	.200.00	.0
ङ.5	उर्वरक (पूंजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6	बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	43.90	0.31
ङ.7	काल्ड स्टारण साहत मङारणगत बुनियादा सुविधार अंतिम बाजार	0.00	0.00
জ. <i>।</i> জ.৪	आतम बाजार मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ড.o ড.9	ामहा पराक्षण शीत भंडारण की शृंखला	0.00	
ङ. <i>७</i> न.	शात महारण का शृखला अन्य उधोग	0.00	0.00
1.	org ogit	0.00	0.00
	समस्त उद्योग (क से न तक)	25,250.22	6,595.85

#### घ) परिसंपत्तियों एवं देयताएं की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
१ दिन	2599	1010	-	1903	474	399
२ से ७ दिन तक	4034	2069	124	2095	6420	5394
८ से १४ दिन तक	3933	2602	94	1472	2087	1901
१५ से ३० दिन तक	7582	6712	264	3246	9374	9088
३१ दिन से २ माह तक	12198	7014	464	1062	6557	6330
२ माह से अधिक परंतु ३ माह तक	13665	5955	783	7252	9487	10224
३ माह से अधिक परंतु ६ माह तक	28324	11599	893	802	6906	5475
६ माह से अधिक परंतु १ वर्ष तक	45963	12118	2124	358	3506	5663
१ वर्ष से अधिक परंतु ३ वर्ष तक	47343	26674	11262	811	7754	10230
३ वर्ष से अधिक परंतु ५ वर्ष तक	19898	23837	10804	-	6365	4877
५ वर्ष से अधिक	63798	62039	70857	1500	2830	2468
Total	249338	161629	97669	20501	61760	62050

ਹ)	एनपीए की राशि (सकल)	:	7726.46	करोड़
	• अवमानक	:	999.90	करोड़
	<ul> <li>संदिग्ध 1</li> </ul>	:	1492.24	करोड़
	<ul> <li>संदिग्ध 2</li> </ul>	:	2203.24	करोड़
	• संदिग्ध 3	:	2533.07	करोड़
	• हानि	:	498.01	करोड़
छ)	शुद्ध एनपीए	:	2018.02	करोड़
ज)	एनपीए अनुपातः -			

 सकल अग्रिम पर सकल एनपीए : 4.78%
 शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए : 1.29 % 1.29 %

झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)

10237.43 करोड़ 2000.55 • प्रारंभिक शेष • वृद्धि 2096.03 करोड़ : कमी : 4607.00 करोड़ • अंत शेष 7726.46 करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़

(₹ राशि करोड़ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	6025.96	818.06
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1315.33	68.98
बट्टे खाते डालना	2574.77	शून्य
अतिरेक प्रावधानों को बट्टे खाते से निकालना	19.76	10.35
विनिमय अंतर	57.60	7.34
अंत शेष	4804.36	884.03

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

ञ) बट्टे डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

1) 16 old 1, 74 did 11 did 11 did 1 did 1 di 16 di		
बट्टे डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं (बट्टे डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं		— ₹1624.40 करोड़
ट) अनर्जक निवेशों की राशि	:	1164.61 करोड़
र्ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि	:	1142.25 करोड़
र्ड) निवेश अवमूल्यन् केँ प्रावधानों की घट-बढ़		
• प्रारंभिंक शेष	:	1201.67 करोड़
<ul> <li>अविध के दौरान किए गए प्रावधान</li> </ul>	:	303.70 करोड़
• बट्टे खाते डालना	:	शून्य
• विनिमय अंतराल	:	8.97 करोड़
<ul> <li>अतिरेक प्रावधानों को वापस खाते में लेना</li> </ul>	:	157.41 करोड़
• अंत शेष	•	1356.93 करोड़

## ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	3.90	1.54
2	खाद्य प्रसंस्करण	55.72	81.41
3	वस्त्र	42.54	33.61
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	1.85	1.51
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	5.69	4.48
6	कागज एवं कागज उत्पाद	1.28	0.67
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	0	0
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	0.61	0.25
9	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	21.14	15.54
10	कांच एवं कांच के सामान	0	0
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	18.43	8.61
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	16.44	7.63
13	समस्त इंजीनियरिंग	66.62	35.12
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	0.76	0.34
15	रत्न एवं आभूषण	3.77	3.77
16	निर्माण	122.31	75.71

## ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	7165.09	561.37	7726.46
एनपीए के लिए प्रावधान	4242.99	561.37	4804.36
मानक अग्रिमों के प्रावधान	795.05	88.98	884.03

# Table DF - 3 Credit Risk: General Disclosures for All Banks

#### Qualitative Disclosure

#### a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where -

- i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

- The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

#### b) Bank's Credit Risk Management Policy:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

- i. Credit Risk acquisition strategies & policies,
- ii. Credit approval processes.
- iii. Credit Risk monitoring processes.
- iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹ 25 lacs (other than Schematic and Retail Loans) and above ₹ 1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

#### **Quantitative disclosures**

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures			
		Fund Based	Non Fund Based
a)	Total Gross Credit Exposure	161629.45	10929.96
b)	Geographical Distribution of Exposure		
	Domestic	139431.95	10304.98
	Overseas	22197.50	624.98

## c) Industry type distribution of Exposures

(Amount in ₹ Cr)

	Funded	
		Non-Funded
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	302.53	126.46
A.1 Coal	33.52	120.55
A.2 Others	269.01	5.92
B. Food Processing (B.1 to B.5)	1,420.49	342.25
B.1 Sugar	101.11	6.24
B.2 Edible Oils and Vanaspati	243.60	220.37
B.3 Tea	257.04	6.92
B.4 Coffee	0.00	0.00
B.5 Others	818.74	108.72
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	72.76	15.39
Of which Tobacco and tobacco products	49.56	0.00
D. Textiles (a to f)	731.99	168.70
a. Cotton	346.97	77.08
b. Jute	6.80	2.82
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00
d. Silk	0.00	0.00
e. Woolen	0.00	0.00
f. Others	378.21	88.81
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00
E. Leather and Leather products	26.88	0.01
F. Wood and Wood Products	42.27	3.08
G. Paper and Paper Products	168.47	71.93
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	348.15	53.80
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	517.00	171.59
I.1 Fertilizers	2.12	0.16
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	187.61	15.75
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	18.68	53.46
I.4 Others	308.60	102.23
J. Rubber, Plastic and their Products	130.33	25.33
K. Glass & Glassware	49.59	0.00
L. Cement and Cement Products	110.21	42.00
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	2,839.49	734.45
M.1 Iron and Steel	2,375.00	579.07
M.2 Other Metal and Metal Products	464.48	155.38
N. All Engineering (N.1 + N.2)	994.77	922.04
N.1 Electronics	131.89	163.23
N.2 Others	862.89	758.81
	25.05	0.00
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments P. Gems and Jewellery	106.23	0.00
Q. Construction	584.30	1516.39
-,		
R. Infrastructure (a to d)	16,779.70	2,402.40
a. Transport (a.1 to a.6)	2,920.99	759.70
a.1 Roads and Bridges	2754.93	759.70
a.2 Ports	47.76	0.00
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00
a.4 Airport	0.00	0.00
<ul> <li>a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges</li> <li>a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)</li> </ul>	118.30	0.00

ndustry Name	Ex	kposure
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	11,988.34	1,050.76
b.1 Electricity (Generation)	4854.68	810.32
b.1.1 Central Govt PSUs	1408.16	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	221.47	616.73
b.1.3 Private Sector	3225.05	193.59
b.2 Electricity (Transmission)	985.55	0.00
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	981.77	0.00
b.2.3 Private Sector	3.78	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	1771.28	240.44
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1771.28	240.44
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.4 Oil pipelines	368.06	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	4008.77	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	295.28	141.80
c.1 Solid Waste Management	0.00	0.00
c.2 Water supply pipelines	270.27	0.00
c.3 Water treatment plants	25.01	141.80
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c. 6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	60.54	0.00
d.1 Telecommunication (Fixed network)	0.00	0.00
d.2 Telecommunication towers	60.54	0.00
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	1514.55	450.14
e.1 Education Institutions (capital stock)	97.55	11.36
e.2 Hospitals (capital stock)	117.14	0.82
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside		
cities with population of more than 1 million	0.00	0.00
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism		
facilities and agriculture markets	1255.95	437.64
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and		
horticultural produce including cold storage	43.90	0.31
e.7 Terminal markets	0.00	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
T. Other Industries	0.00	0.00
All Industries (A to T)	25,250.22	6,595.85

#### d) Residual contractual maturity breakdown of assets and Liabilities (₹ in Cr)

Particulars	Deposit	Advance Gross	Investment Gross	Borrowing	Foreign Currency- Asset	Foreign Currency- Liabality
1 Day	2599	1010	-	1903	474	399
2-7 days	4034	2069	124	2095	6420	5394
8-14 Days	3933	2602	94	1472	2087	1901
15-30 Days	7582	6712	264	3246	9374	9088
31 days to 2 Month	12198	7014	464	1062	6557	6330
Over 2 Months upto 3 Month	13665	5955	783	7252	9487	10224
Over 3 Months upto 6 Month	28324	11599	893	802	6906	5475
Over 6 Months upto 1 Year	45963	12118	2124	358	3506	5663
Over 1 Year upto 3 Year	47343	26674	11262	811	7754	10230
Over 3 Year upto 5 Year	19898	23837	10804	-	6365	4877
Over 5 Year	63798	62039	70857	1500	2830	2468
Total	249338	161629	97669	20501	61760	62050

e) Amount of NPAs (Gross) : 7726.46 Cr

• Substandard : 999.90 Cr

• Doubtful 1 : 1492.24 Cr

• Doubtful 2 : 2203.24 Cr

• Doubtful 3 : 2533.07 Cr

• Loss : 498.01 Cr

f) Net NPAs : 2018.02 Cr

g) NPA Ratios: -

Gross NPAs to gross advances : 4.78% Net NPAs to net advances : 1.29 %

h) Movement of NPAs (Gross)

Opening balance
 Additions
 Reductions
 Closing balance
 10237.43 Cr
 2096.03 Cr
 4607.00 Cr
 7726.46 Cr

#### i) Movement of Specific & General Provision

(₹ in Crore)

Movement of provisions	Specific Provisions#	General Provisions@
Opening balance	6025.96	818.06
Provisions made during the period	1315.33	68.98
Write-off	2574.77	NIL
Write-back of excess provisions	19.76	10.35
Exchange difference	57.60	7.34
Closing balance	4804.36	884.03

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement		 ₹1624.40 crore
k) Amount of Non-Performing Investments:		1164.61 Cr
Amount of provisions held for non-performing investments: -		1142.25 Cr
m) Movement of provisions for depreciation on investments		
Opening balance	:	1201.67 Cr
Provisions made during the period	:	303.70 Cr
Write-off	:	NIL
Exchange Difference	:	8.97 Cr
Write-back of excess provisions	:	157.41 Cr
Closing balance	:	1356.93 Cr

#### n) Industry wise NPA and provisions

(₹ in Cr.)

SI. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	3.90	1.54
2	Food Processing	55.72	81.41
3	Textiles	42.54	33.61
4	Leather and Leather products	1.85	1.51
5	Wood and Wood Products	5.69	4.48
6	Paper and Paper Products	1.28	0.67
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	0	0
8	Chemicals and Chemical Products	0.61	0.25
9	Rubber, Plastic and their Products	21.14	15.54
10	Glass & Glassware	0	0
11	Cement and Cement Products	18.43	8.61
12	Basic Metal and Metal Products	16.44	7.63
13	All Engineering	66.62	35.12
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	0.76	0.34
15	Gems and Jewellery	3.77	3.77
16	Construction	122.31	75.71

### o) Geography Wise NPA & Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	7165.09	561.37	7726.46
Provisions for NPA	4242.99	561.37	4804.36
Provisions for Standard Advances	795.05	88.98	884.03

## ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

## गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेत् किया जाता है:

- 1) सीएआरई
- 2) सीआरआईएसआईएल
- 3) इंडिया रेटिंग
- 4) इन्फोमेरिक्स
- 5) आईसीआरए
- 6) एक्यूट रेटिंग

(अकारादि क्रम से सूचीबद्ध)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- उप्पर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1)	100% से कम का जोखिम भार	- ₹1,64,957.35 करोड़
2)	100% जोखिम भार	- <b>₹</b> 26,281.44 करोड़
3)	100% से अधिक का जोखिम भार	- ₹8,666.23 करोड़
4)	कटौती	- <b>₹</b> 0.00 करोड़
	योग	- ₹1,99,905.02 करोड़

#### Table DF - 4

## Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach

#### Qualitative disclosure:

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) CARE
- 2) CRISIL
- 3) INDIA RATINGS
- 4) Infomerics
- 5) ICRA
- 6) Acuite Rating

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has
  followed the guidelines of Reserve Bank of India.

#### Quantitative disclosure:

#### Exposure after risk mitigation in standardized approach:

	Total	- ₹ 1,99,905.02 Cr.
4)	Deduction	- ₹ 0.00 Cr.
3)	More than 100% risk weight	- ₹8,666.23 Cr.
2)	100% risk weight	- ₹ 26,281.44 Cr.
1)	Below 100% risk weight	- ₹1,64,957.35 Cr.

## ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

### (अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

#### ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बेंक इस शर्त के अध्यधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि -

- बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।
- ii) बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यधीन है।
- iii) बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभृत के रूप में माना जाता है।

#### ऋग जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

- i) गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।
- ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबिक असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।
- iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।
- iv) योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगीः

- क) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तूलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;
- ख) 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।
- v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

#### (आ) संपार्श्विक मृल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आस्ति मूल्यांकन पद्धित द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

### विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

#### (i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सिहत सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी। निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा:

- i) निर्माण की प्रकृति
- ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती
- iii) किराया से होने वाली आय
- iv) निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि
- v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र
- vi) निर्माण की लागत
- vii) जगह का मूल्य

#### (ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधिकत /गिरवी रखी गईं आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

#### (iii) शेयरों का मृल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

- (क) शेयर का मौजुदा बाजार मुल्य
- (ख) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आस्ति मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

## (iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन

#### पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

#### (ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :

- (i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
- (ii) सेंयत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
- (iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटियों/म्युचुंअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
- (iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
- (v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
- (vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

#### (घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
- ii) कार्पोरेट गारंटी
- iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋग सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

#### (ङ) प्रशमन के भीतर ऋग जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :

त्रमा जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरणः

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹13553.39 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

#### तालिका डीएफ - 6

## प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

लागु नहीं क्योंकि युको बैंक के पास कोई प्रतिभृतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

#### Table DF - 5

## Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

#### Qualitative disclosure:

## (a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

#### Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

- i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
- iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

#### Credit risk mitigation techniques- Guarantees

- i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
- ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
- iii) Operational requirement for guarantees must be met.
- iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

- a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
- b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

#### (b) Policies and processes for collateral valuation and Management

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

#### Method of valuation of various types of securities:

#### (i) Valuation of land and building

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

- i) Nature of construction
- ii) Age of the building and its present strength
- iii) Rental yield
- iv) Tax amount assessed/paid
- v) Area of land and building
- vi) Cost of construction
- vii) Value of site

#### (ii) Valuation of Movable properties:

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

#### (iii) Valuation of shares:

Market value is calculated as below:

- a) Current market price of the share
- b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

#### (iv) Valuation of LIC Policy:

#### Present surrender value of the policy

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

#### (c) Main types of collateral taken by Bank are -

- i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) Assignment of LIC Policies
- v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) Pledge of NSCs/KVPs

#### (d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) Corporate Guarantee
- iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

#### Quantitative disclosure:

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach-₹13553.39 Cr.

#### Table DF - 6

## Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

## क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण:

#### 1. उद्देश्य एवं नीतियां:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

#### 2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

#### 3. संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठनः

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

#### 4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

# 5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रुपयों से बैंक के भारतीय रुपयों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
ब्याज दर जोखिम	790.09
ईक्विटी स्थिति जोखिम	103.92
विदेशी मुद्रा जोखिम	5.18

#### TABLE DF - 7

## **Market Risk in Trading Book**

#### **Qualitative Disclosure:**

#### 1. Objective & Policies:

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

#### 2. Strategies and Processes:

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

#### 3. Structure and organization of the relevant risk management function:

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Corporate Credit, Finance, Risk Management, International and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

#### 4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

## 5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

#### **Quantitative Disclosures:**

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	790.09
Equity Position Risk	103.92
Foreign Exchange Risk	5.18

## परिचालनगत जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है -

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

#### परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है -

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

#### जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूँजी रख रहा है। 31.03.2023 की स्थिति को बीआईए के अनुसार पूँजी आवश्यकता ₹1892.95 करोड़ की है।

#### Table DF - 8

## **Operational Risk**

#### Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy and compliance with bank's established policies and procedures, adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEx for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹1892.95 crores as on 31.03.2023.

## बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अविध और साथ ही एक वर्ष की अविध के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अविध का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए	+/- ₹13.17 करोड़
	अर्जन में अनुमानित वृद्धि (कमी)	
2)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए	
	आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- ₹223.99 करोड़

## Table DF-9

## Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

#### Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/Risk management Committee of the Board.

#### Quantitative disclosure :

1)	Estimated increase (decline) in earnings for	
	Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹13.17 Cr.
2)	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹223.99 Cr.

#### काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर का सामान्य प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

#### i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

#### ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

- क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।
- ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अविध की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोटों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अविध में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क ट्र मार्केट स्थित पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

#### iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशामकों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज पर, जिसमें अस्तियां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सिन्निहित आस्ति/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:

#### काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्स्पोजर:

#### ₹ करोड़ में

विवरण	राशि
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	159.59
नेटिंग लाभ	0.00
नेटेड चालू ऋण एक्स्पोजर	159.59
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्स्पोजर	159.59

#### ₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2023 की स्थिति के
		अनुसार चालू ऋण एक्स्पोजर
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	36191.75	837.45
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	6852.62	95.12
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	43044.37	932.57

#### Table DF-10

## General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

#### Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:
- a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.
- b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.
- (iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

#### Quantitative Disclosure:

#### **Exposure of Counterparty Credit Risk:**

₹ in Cr

Particulars	Amount
Gross positive value of contracts	159.59
Netting Benefits	0.00
Netted current credit exposure	159.59
Collateral held	0.00
Net derivative credit exposure	159.59

₹ in Cı

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2023
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	36191.75	837.45
Single CCY Interest Rate Swaps	6852.62	95.12
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	43044.37	932.57

# पूँजी की संरचना

## (₹ मिलियन में)

बासेल	।॥ सामान्य प्रकटीकरण तालिका	राशियां	संदर्भ
सामा	न्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ		
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँज़ी और संबंधित		
	स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	155816.7	
2	प्रतिधारित उपार्जन	16185.7	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	64169.9	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)		
6	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी विनियमनकारी समायोजनों से पूर्व	236172.3	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियमनकारी समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	12713.8	
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	74114.4	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋग जोखिम में परिवर्तन के		
	कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से		
	अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के		
	क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की		
	गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो		
	नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं		
	(राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थिगित कर आस्तियाँ		
	(राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें सेः वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें सेः बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें सेः अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क+26ख + 26ग + 26घ)		
	26क <i>जिसमें सेः</i> असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख जिसमें सेः असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग <i>जिसमें से</i> : प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में		
	कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ <i>जिसमें सेः</i> अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य		
	ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1को कुल नियमनकारी समायोजन	86828.2	
29	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटीआई)	149344.1	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः लिखत		
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	
31	जिसमें सेः प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत		
	(स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें सेः प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत	5000.0	
	(एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि		
35	जिसमें सेः चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत		
36	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व	5000.0	
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजीः नियमनकारी समायोजन		
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के		
	क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की		
	गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी		
	समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10%		
	प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (४१क+४१ख)		
	41क जिसमे से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमे से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर		
	1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू		
	नियमनकारी समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन	-	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)	5000.0	
45	टियर 1 पूँजी (टी1 =सीईटी  f एटी 1) (29 - 44)	154344.1	
	टियर 2 पूँजीः लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	15000.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1		
	लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	जिसमें सेः चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत		
50	प्रावधान	13251.8	
51	टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व	28251.8	
	टियर 2 पूँजीः नियमनकारी समायोजन		
$\overline{}$		-	

E0.	This has a form of fally	70.4	
52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	72.1	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से		
	बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के		
	10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन		
	के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क +56ख)		
	56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	56ख जिसमें सेः प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन	72.1	
58	ਟਿਧਾ 2 पूँजी (ਟੀ2)	28179.7	
59	कुल पूँजी (टीसी=टी1 + टी2) (45 + 58)	182523.8	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (60क+ 60ख + 60ग)	1105577.3	
	60क जिसमें सेः कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	858829.7	
	60ख जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	82143.3	
	60ग जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	164604.3	
	पूँजी अनुपात एवं वर्णर		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.51%	
62	टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.96%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.51%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1		
	आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम		
	भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें सेः पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता		
66	जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय अतिरिक्त आवश्यकता		
67	जिसमें सेः जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी तियर-1 पूँजी की उपलब्धता		
	(जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल ॥ से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हों)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न ही)		
	कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य		
	प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में		
	शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल		
	करने पर लागू अधिकतम सीमा		
	a		

## Table DF - 11

## **Composition of Capital**

## (₹ in million)

Bas	el III common disclosure template	Amounts	Ref No.
Con	nmon Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	155816.7	
2	Retained earnings	16185.7	
3	Accumulated other comprehensive income	64169.9	
	(and other reserves)		
4	Directly issued capital subject to phase out from		
	CET1 (only applicable to non-joint stock companies¹)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by		
	third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	236172.3	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	12713.8	
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	74114.4	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair		
	valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance		
	entities that are outside the scope of regulatory consolidation,		
	net of eligible short positions, where the bank does not own		
	more than 10% of the issued share capital		
	(amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance		
	entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short		
	positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences		
	(amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance		
	subsidiaries		
	26b of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial		
	subsidiaries		
	26c of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities		
	which have not been consolidated with the bank		
	26d of which: Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient		
	Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	86828.2	
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	149344.1	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock	-	
	surplus (Share Premium) (31+32)		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards		
	(Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards		
	(Perpetual debt Instruments)		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not	5000.0	
	included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount		
	allowed in group AT1		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to		
	phase out		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	5000.0	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions,		
	where the bank does not own more than 10% of the issued common share		
	capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance		
	entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible		
	short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
	41a Of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated		
	insurance subsidiaries		
	41b Of which: Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned		
42	financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	5000.0	
44	Additional Tier 1 capital (AT1) Tier 1 capital (T1 = CETI + AT1) (29 + 44)	5000.0 <b>154344.1</b>	
45		154544.1	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15000.0	
48	Tier 2 instruments (and CETI and AT1 instruments not		
	included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties		
	(amount allowed in group Tier 2)		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	Provisions	13251.8	
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	28251.8	
	<u> </u>		

Tier 2 capital: regulatory adjustments  52 Investments in own Tier 2 instruments  53 Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments  54 Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that	
1 Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments  Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)  Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)  National specific regulatory adjustments (56a+56b)  60 of which: Shortfall in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries short positions)  70 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  71 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital for a foot which: total credit risk weighted assets  60 of which: total credit risk weighted assets  60 of which: total market risk weighted assets  60 of which: total operational risk weighted assets  Capital Ratios & Buffers  61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  13.51%	
Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)  55 Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)  56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)  56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries  56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital  72.1  58 Tier 2 capital (TC) = T1 + T2) (45 + 58)  60 Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)  60a of which: total credit risk weighted assets  60b of which: total market risk weighted assets  60c of which: total market risk weighted assets  60c of which: total operational risk weighted assets  61c Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	
are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)  55 Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)  56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)  56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries  56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital  72.1  58 Tier 2 capital (TC) = T1 + T2) (45 + 58)  60 Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)  60a of which: total credit risk weighted assets  60b of which: total market risk weighted assets  60c of which: total operational risk weighted assets  60c of which: total operational risk weighted assets  61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  13.51%	
positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)  55 Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)  56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)  56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries 56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital 72.1  58 Tier 2 capital (T2) 28179.7  59 Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58) 182523.8  60 Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c) 1105577.3  60a of which: total credit risk weighted assets 858829.7  60b of which: total market risk weighted assets 82143.3  60c of which: total operational risk weighted assets 164604.3  Capital Ratios & Buffers  61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) 13.51%	
common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)  55 Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)  56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)  56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries  56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital  58 Tier 2 capital (T2)  59 Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)  100 Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)  500 of which: total credit risk weighted assets  600 of which: total market risk weighted assets  600 of which: total operational risk weighted assets  Capital Ratios & Buffers  61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  13.51%	
Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)  National specific regulatory adjustments (56a+56b)  56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries  56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  72.1  Total regulatory adjustments to Tier 2 capital  Tier 2 capital (T2)  Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)  Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)  1105577.3  60a of which: total credit risk weighted assets 60b of which: total market risk weighted assets 60c of which: total market risk weighted assets 60c of which: total operational risk weighted assets Capital Ratios & Buffers  61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  13.51%	
entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)  56 National specific regulatory adjustments (56a+56b)  56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries  56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital  72.1  58 Tier 2 capital (T2)  72.1  59 Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)  182523.8  60 Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)  1105577.3  60a of which: total credit risk weighted assets 60b of which: total market risk weighted assets 60c of which: total operational risk weighted assets 60c of which: total operational risk weighted assets Capital Ratios & Buffers  61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  13.51%	
short positions)  National specific regulatory adjustments (56a+56b)  56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries  56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  72.1  72.1  72.1  73.1  74.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.	
National specific regulatory adjustments (56a+56b)  56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries  56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  72.1  72.1  72.1  73.1  74.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.1  75.	
56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries  56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank  57 Total regulatory adjustments to Tier 2 capital  58 Tier 2 capital (T2)  59 Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)  60 Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)  60a of which: total credit risk weighted assets 60b of which: total market risk weighted assets 60c of which: total operational risk weighted assets 60c of which: total operational risk weighted assets 61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  13.51%	
Total regulatory adjustments to Tier 2 capital   72.1	
which have not been consolidated with the bank  Total regulatory adjustments to Tier 2 capital  Tier 2 capital (T2)  Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)  Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)  1105577.3  60a of which: total credit risk weighted assets  60b of which: total market risk weighted assets  60c of which: total operational risk weighted assets  Capital Ratios & Buffers  Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  12.1  28179.7  182523.8  182523.8  182523.8  858829.7  858829.7  610b of which: total operational risk weighted assets  164604.3	
which have not been consolidated with the bank  Total regulatory adjustments to Tier 2 capital  Tier 2 capital (T2)  Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)  Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)  1105577.3  60a of which: total credit risk weighted assets  60b of which: total market risk weighted assets  60c of which: total operational risk weighted assets  Capital Ratios & Buffers  Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  12.1  28179.7  182523.8  182523.8  182523.8  858829.7  858829.7  610b of which: total operational risk weighted assets  164604.3	
58         Tier 2 capital (T2)         28179.7           59         Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)         182523.8           60         Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)         1105577.3           60a of which: total credit risk weighted assets         858829.7           60b of which: total market risk weighted assets         82143.3           60c of which: total operational risk weighted assets         164604.3           Capital Ratios & Buffers           61         Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)         13.51%	
58         Tier 2 capital (T2)         28179.7           59         Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)         182523.8           60         Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)         1105577.3           60a of which: total credit risk weighted assets         858829.7           60b of which: total market risk weighted assets         82143.3           60c of which: total operational risk weighted assets         164604.3           Capital Ratios & Buffers           61         Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)         13.51%	
59       Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)       182523.8         60       Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)       1105577.3         60a of which: total credit risk weighted assets       858829.7         60b of which: total market risk weighted assets       82143.3         60c of which: total operational risk weighted assets       164604.3         Capital Ratios & Buffers         61       Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)       13.51%	
60 Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c) 1105577.3 60a of which: total credit risk weighted assets 60b of which: total market risk weighted assets 60c of which: total operational risk weighted assets 164604.3 Capital Ratios & Buffers 61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) 13.51%	
60a of which: total credit risk weighted assets  60b of which: total market risk weighted assets  60c of which: total operational risk weighted assets  Capital Ratios & Buffers  61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  858829.7  82143.3  164604.3	
60b of which: total market risk weighted assets 60c of which: total operational risk weighted assets 164604.3  Capital Ratios & Buffers 61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) 13.51%	
60c of which: total operational risk weighted assets  Capital Ratios & Buffers  Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  164604.3  13.51%	
Capital Ratios & Buffers  Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)  13.51%	
61 Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) 13.51%	
62 Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) 13.96%	
, , ,	
63 Total capital (as a percentage of risk weighted assets) 16.51%	
64 Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus	
capital conservation and countercyclical buffer requirements,	
plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)	
65 of which: capital conservation buffer requirement	
66 of which: bank specific countercyclical buffer requirement	
67 of which: G-SIB buffer requirement	
68 Common Equity Tier 1 available to meet buffers	-
(as a percentage of risk weighted assets)	
National minima (if different from Basel III)	
69 National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
70 National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
71 National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	
72 Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73 Significant investments in the common stock of financial entities	
74 Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75 Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	
76 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to	
standardised approach (prior to application of cap)	
77 Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78 Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to	
l internal rations because annuage for in the application of a>	
internal ratings-based approach (prior to application of cap)  79 Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	

# पूँजी की संरचना – समाधान की अपेक्षाएं

#### चरण - 1

		(₹ मिलि	(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र	
क	पूंजी एवं देयताएं			
i	प्रदत्त पूंजी आरक्षित एवं अधिक निधि अल्प संख्य ब्याज शेयर एप्लीकेशन राशी कुल पूंजी	119559.6 138085.5 257645.1		
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंक जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)	2493377.4 60078.8 2433298.6		
iii	उधार जिसमें से: भा.रि. बैंक से जिसमें से: बैंकों से जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर) जिसमें से: पूंजीगत लिखत	205010.8 00.000 142318.4 44830.2 2862.2 15000.0		
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	52596.6		
कुल	1	3008629.9		
ख i ii	आस्तियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष निवेश : जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि) त्रिशा एवं अग्रिम	103000.1 184280.9 951693.5 700543.3 00.0 3373.6 236228.1 1985.6 9592.9		
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	32568.4 1526133.4		
iv	अचल आस्ति	35095.1		
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां जिसमें से : अन्य समेकन पर साख	175858.5 82091.1 93767.4		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष			
V11	कूल आस्तियां	3008629.9		

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के	रिपोर्टिग तारीख की स्थिति के
		अनुसार वित्तीय विवरणों में	अनुसार समेकन के विनियामक
			विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
क	पूंजी एवं देयताएं	यथारूप तुलन-पत्र	14 cm c 42 old for get 1 12
i	प्रदत्त पूजी	119559.6	
'	जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	119559.6	
	जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	
	आरक्षित एवं अधिक निधि	138085.5	
	शेयर एप्लीकेशन राशि	0.00	
	अल्पसंख्य ब्याज		
	कुल पूंजी	257645.1	
ii	जमाराशि	2493377.4	
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशि	60078.8	
	जिसमें से : ग्राहक जमाराशि	2433298.6	
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)		
iii	उधार	205010.8	
'''	जवार जिसमें से : भा.रि. बैंक से	00.000	
	जिसमें से : बैंकों से	142318.4	
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं	44830.2	
	एवं एजेंसियों से	11000.2	
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	2862.2	
	<i>जिसमें से :</i> पूंजीगत लिखत	15000.0	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	52596.6	
	जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी		
	<i>जिसमें से :</i> अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी	222222	
ख	कुल आस्तियां	3008629.9	
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास	103000.1	
•	नकदी और शेष	100000.1	
	अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	184280.9	
	और बैंक के पास शेष		
ii	निवेश	951693.5	
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	700543.3	
	<i>जिसमें से :</i> अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां <i>जिसमें से :</i> शेयर	00.0	
	जिसमें से : शेयर	3373.6	
	जिसमें से : ऋग-पत्र एवं बांड	236228.1	
	जिसमें से : सहायक कंपनियां/ संयुक्त	1985.6	
	उद्यम् / सहायक	9592.9	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक एक सम्बन्धन फंटर शादि)		
- :::	पत्र, म्युचुअल फंड आदि) ऋण एवं अग्रिम	4550704.0	
iii	ऋण एव आग्रम जिसमें से : बैंकों को ऋण	1558701.8 32568.4	
	एवं अग्रिम	32568.4	
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण	1526133.4	
	एवं अग्रिम	1020100.4	
iv	अचल आस्तियां	35095.1	
V	अन्य आस्तियां	175858.5	
	जिसमें से : साख और		
	अमूर्त आस्तियां		
	जिसमें से :		
	साख		
	अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर)		
	आस्थिगके कर आस्तियां	82091.1	
- ,,i	अन्य समेकन पर साख	93767.4	
vi vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
VII	कुल आस्तियां	3008629.9	
	3	000023.3	

# सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की	चरण 2 में से विनियामक
		गई विनियामक पूंजी	विस्तार के अंतर्गत तुलन-
		के घटक	पत्र के पत्रों/संदर्भों पर
			आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष)		
	पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	155816.7	
2	प्रतिधारित आमदनी	16185.7	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	64169.9	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू)		
	बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि)		
	द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व	236172.3	
	सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	12713.8	
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगित कर आस्तियां	74114.4	

# Table DF - 12

## **Composition of Capital – Reconciliation Requirements**

Step - 1

		(₹ in	million)
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
Α	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	119559.6	
	Reserves & Surplus	138085.5	
	Minority Interest		
	Share Application Money		
	Total Capital	257645.1	
ii	Deposits	2493377.4	
	of which: Deposits from banks	60078.8	
	of which: Customer deposits	2433298.6	
	of which: Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings	205010.8	
	of which: From RBI	00.000	
	of which: From banks	142318.4	
	of which: From other institutions & agencies	44830.2	
	of which: Others (Outside India)	2862.2	
	of which: Capital instruments	15000.0	
iv	Other liabilities & provisions	52596.6	
	Total	3008629.9	
В	Assets		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	103000.1	
	Balance with banks and money at call and short notice	184280.9	
ii	Investments:	951693.5	
	of which: Government securities	700543.3	
	of which: Other approved securities	00.0	
	of which: Shares	3373.6	
	of which: Debentures & Bonds	236228.1	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1985.6	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	9592.9	
iii	Loans and advances	1558701.8	
	of which: Loans and advances to banks	32568.4	
	of which: Loans and advances to customers	1526133.4	
iv	Fixed assets	35095.1	
V	Other assets	175858.5	
	of which: Goodwill and intangible assets		
	of which: Deferred tax assets	82091.1	
	of which: Others	93767.4	
vi	Goodwill on consolidation		
::	Debit balance in Profit & Loss account		
vii	Debit balance in Front & 2003 account		

		(₹ in million)		
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	
Α	Capital & Liabilities			
i	Paid-up Capital of which: Amount eligible for CET1 of which: Amount eligible for AT1 Reserves & Surplus Share Application Money Minority Interest Total Capital	119559.6 119559.6 0.00 138085.5 0.00		
ii	Deposits	<b>257645.1</b> 2493377.4		
II	of which: Deposits from banks of which: Customer deposits of which: Other deposits (pl. specify)	60078.8 2433298.6		
iii	Borrowings of which: From RBI of which: From banks of which: From other institutions & & agencies of which: Others (Outside India) of which: Capital instruments	205010.8 00.000 142318.4 44830.2 2862.2 15000.0		
iv	Other liabilities & provisions of which: DTLs related to goodwill of which: DTLs related to intangible assets Total	52596.6 <b>3008629.9</b>		
В	Assets			
i	Cash and balances with Reserve Bank of India Balance with banks and money at call and short notice	103000.1		
ii	Investments of which: Government securities of which: Other approved securities of which: Shares of which: Debentures & Bonds of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	951693.5 700543.3 00.000 3373.6 236228.1 1985.6 9592.9		
iii	Loans and advances of which: Loans and advances to banks of which: Loans and advances to customers	1558701.8 32568.4 1526133.4		
iv	Fixed assets	35095.1		
V	Other assets of which: Goodwill and intangible assets Out of which: Goodwill Other intangibles (excluding MSRs) Deferred tax assets Others	175858.5 82091.1 93767.4		
Vi	Goodwill on consolidation			
vii	Debit balance in Profit & Loss account  Total Assets	3008629.9		
	I Ottal Addeta	3000023.3	<u> </u>	

# **Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**

		(₹in	million)
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	155816.7	
2	Retained earnings	16185.7	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	64169.9	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	236172.3	
7	Prudential valuation adjustments	12713.8	
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Deferred tax assets	74114.4	

# तालिका डीएफ - 13

# नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

लिख	त : ईक्विटी शेयर	
1	जारीकर्ता	युको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी.	आईएनई691ए01018
	आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग्र)	
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं
	विनियमनकारी उपचार	विनियमनकारी आवश्यकताएँ
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी — कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग	
	तारीख को, रु. मिलियन में)	119559.58
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	ईक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद
	,,	की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कृपन/डिविडेंड	
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत	
	प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल ॥ अनुपालित टियर -॥ बांड 9.644% शृंखला ॥

1	जारीकर्ता		युको बैंक
2		सआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट	आईएनई 691 ए 08054
-	के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	राजार्या, जार्रराजार्रा या गणा सारागट	INE691A08054
3	लिखत को शासित करनेवाले नि	 यम	भारतीय विधि
	विनियमनकारी उपचार	7 '	11331-1
4	संक्रामी बासेल III नियम		टियर-॥
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III ि	नेयम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल		एकल
7	लिखत प्रकार		अधीनस्थ टियर-II
8		ारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	, , ,	5000 मिलियन
	۵		(प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण		उधार
11	जारी करने की मूल तारीख		28.06.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर		दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि		28.06.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन	जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकरिमक		कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू		लागू नहीं
	कूपन/ डिविडेंड		, a
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कृपन</i>		निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधि	त सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष
	4	u.	9.644% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व		नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य		अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी		नहीं
22	असंचयी या संचयी		असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय		अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक		लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या	अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन	की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य र	या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत क	। वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिख	व्रत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता		हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईंट ऑफ नॉन वाय	बिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय
	उत्प्रेरक	आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सक	
		निम्नांकित से पहले आएगीः	, ,
		क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जि	सके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा
		आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है	
		ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके र	
		के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अ	-
		सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात	
		सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही	
			लामा साम्य साम्यानिक दात्र के द्वारा
		प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।	

32 33	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी		पूर्ण स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़	ने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35			ाप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी iगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स ारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और लियापन और परिसमापन की
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण		नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्ले	नेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल ॥ अनुपालित टियर -॥ बांड 9.71% शृंखला ॥

1	जारीकर्ता		यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट		आईएनई 691ए 08062
	के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)		INE691A08062
3	लिखत को शासित करनेवाले नि	यम	भारतीय विधि
	विनियमनकारी उपचार		
4	संक्रामी बासेल III नियम		टियर-॥
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III र्व	नेयम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल		एकल
7	लिखत प्रकार		अधीनस्थ टियर-॥
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निध	र्गिरित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य		5000 मिलियन
	•		(प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण		उधार
11	जारी करने की मूल तारीख		16.12.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर		दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि		16.12.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन		हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक	ज्मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू	हो	लागू नहीं
	कूपन/ डिविडेंड		
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>		निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधि	त सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष
			9.71% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व		नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य		अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी		नहीं
22	असंचयी या संचयी		असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय		अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन		लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या		लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन		लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य		लागू नहीं
28		ा वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29		वत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता		हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईंट ऑफ नॉन वाय	बिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय
	उत्प्रेरक	आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सक	ता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय
		निम्नांकित से पहले आएगीः	
		क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जि	सके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा,
		आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है	; और
		ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके र	
		के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अ	-
		सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात	
		सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही	
		प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।	

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः		पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी		स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ा	ने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	5 परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक विरष्ट लिखत प्रकार का उल्लेख करें) जामकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा बैंक के देनदारों की विरयता को बढ़ाती है उसके न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दि स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूप का अधिकार नहीं होगा।		प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित ा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स इद्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और दवालियापन और परिसमापन की
36	6 गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण		नहीं
37	7 यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें		लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 8.51% शृंखला IV

1	जारीकर्ता		युको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट		आईएनई 691 ए 08070
	के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	, , , , , ,	INE691A08070
3	लिखत को शासित करनेवाले नि	यम	भारतीय विधि
	विनियमनकारी उपचार		
4	संक्रामी बासेल III नियम		टियर-॥
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III ि	नेयम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल		एकल
7	लिखत प्रकार		अधीनस्थ टियर-॥
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निध	ारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	4000
9	लिखत का सममूल्य		10 मिलियन
	σ,		
10	लेखांकन वर्गीकरण		उधार
11	जारी करने की मूल तारीख		22.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर		दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि		22.03.2032
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन	जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकरिमक	मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.03.2027
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू	हो	प्रत्येक वर्ष
	कूपन/ डिविडेंड		
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>		निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधि	त सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष
			8.51% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व		नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य		अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी		नहीं
22	असंचयी या संचयी		असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय		अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन		लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या		लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन व		लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य र		लागू नहीं
28		वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29		वत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता		हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईंट ऑफ नॉन वाय	बिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय
	उत्प्रेरक	आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सव	न्ता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय
		निम्नांकित से पहले आएगीः	
		क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जि	ासके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा,
		आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है	इ; और
		ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके ज	मनुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी
		के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर उ	ार्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा
		सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चा	त बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी
		सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही	
		प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।	
		u u	
1			

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः		पूर्ण
33	3 यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी		स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़	ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35			ाप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी iगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स ारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और लियापन और परिसमापन की
36	36 गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण		नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्ल	नेख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल ॥ अनुपालित टियर -॥ बांड 8.51% शृंखला  $\mathbf{v}$ 

1	जारीकर्ता		युको बैंक
2		सआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट	आईएनई 691 ए 08088
	के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	राजाइया, जाइरराजाइर्ग या गिणा स्तरागट	INE691A08088
3	लिखत को शासित करनेवाले निर	7.8	भारतीय विधि
	विनियमनकारी उपचार	4.1	Titting 1919
4	संक्रामी बासेल III नियम		टियर-॥
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III ि	- नेयम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल		एकल
7	लिखत प्रकार		अधीनस्थ टियर-II
8		ारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	1000
9	लिखत का सममूल्य	, , , ,	10 मिलियन
	٩		(प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण		उधार
11	जारी करने की मूल तारीख		31.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर		दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि		31.03.2032
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन	जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकरिमक		31.03.2027
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू		प्रत्येक वर्ष
	कूपन/ डिविडेंड		
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कृपन</i>		निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधि	त सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष
	σ,	u.	8.51% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व		नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य		अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी		नहीं
22	असंचयी या संचयी		असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय		अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन व		लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या		लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन व	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य र		लागू नहीं
28		वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29		वत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता		हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईंट ऑफ नॉन वाय	बिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय
	उत्प्रेरक	आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सक	न्ता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय
		निम्नांकित से पहले आएगीः	
		क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जि	सके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा,
		आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है	
		ख)  पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके र	
		र े के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अ	•
		सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चा	
		सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही	
		प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।	्रा स्थापन स्थापना ग्राम्य स्थापना ग्राप्त स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थ
		MANY AND AND MENTAL OF THE	

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः		पूर्ण
33	CI CI		रथायी स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ा	ने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	34 यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण 35 परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थित (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)  जमाकर्ताओं और सामन्य ऋणकर्ताओं के अधीन संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथव बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दि स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूष्का अधिकार नहीं होगा।		प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित ा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और द्वालियापन और परिसमापन की
36	36 गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण		नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्ले	ख करें	लागू नहीं

लिखत : अप्रतिभूत अनन्त अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल ॥। अनुपालित एडिशनल टियर । बांड 9.50% शृंखला ।

1	जारीकर्ता		यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूए	क पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट	
	के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)		INE691A08096
3	लिखत को शासित करनेवाले नि	यम	भारतीय विधि
	विनियमनकारी उपचार		
4	संक्रामी बासेल III नियम		टियर-।
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III ि	नेयम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल	का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार		अधीनस्थ टियर-।
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निध	र्गिरत राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को,रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य		10 मिलियन
			(प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण		उधार
11	जारी करने की मूल तारीख		17.03.2023
12	स्थायी रूप से या तारीख पर		स्थायी
13	मूल परिपक्वता की तिथि		नहीं
14पूर्व प	र्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीक	र्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकरिमक		17.03.2028
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू		प्रत्येक वर्ष
	कूपन/ डिविडेंड		
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कृपन</i>		निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधि	त सचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष
	4	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	9.50% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व		नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः वि	वेकानसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	्र प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्र		नहीं
22	असंचयी या संचयी		असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय		अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक		लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः		लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन		लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य र		लागू नहीं
28		ा वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29		वृत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता		हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईंट ऑफ नॉन वाय	
	उत्प्रेरक		
	0(4)(4)	आने पर बॉडों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सक निम्नांकित से पहले आएगीः	वता है। या आ एन या द्रिगर का समय
		•	
		क) निर्णय कि स्थायी रूप से बहे खाते डालना, जि	
		आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है	
		ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके र	
		के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अ	
		या अर्थ यह होया कि निया की परी के प्रकार	त बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी
		सा अथ यह होगा कि प्रिंगर की युंड़ा के परवार सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।	

33 34	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ा परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	ने की प्रणाली का विवरण बांड धारकों के दावे (क) बैंक द्वारा जारी किए ग शेयरों में निवेशकों के दावों से विश्यता प्राप्त क सामन्य ऋणकर्ताओं और बैंक के अधीनस्थ ऋण् टीयर । पूंजी के रूप में योग्य किसी भी अधीनस्थ दिशानिर्देशों में पिरभाषित किया गया है) (ग) व व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से विश्यता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिश् बाँड धारकों को, दिवालियापन और पिरसमापन चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने	रिंगे। (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं, ग के दावों के अधीन होंगा, अतिरिक्त भ ऋण के अलावा (जैसे की बेसल ॥। कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य ने दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की मूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। की स्थिती को छोड़कर सूचीकृत भावी
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण		नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्ले	ख करें	लागू नहीं

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

	STRUMENT: Equity Shares	
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier	
	for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	Regulatory treatment	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity - common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	119559.58
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December'1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify	. 1917 (PP11990)
55	instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

#### INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II

1	Issuer		UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Blo	omberg identifier for private placement)	INE691A08054
3	Governing law(s) of the instrument		Indian Law
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules		Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules		Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo		Solo
7	Instrument type		Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (	₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument		5000 million
			(1 million per Bond)
10	Accounting classification		Borrowings
11	Original date of issuance		28.06.2019
12	Perpetual or dated		Dated
13	Original maturity date		28.06.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval		Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount		No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable		NA
	Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon		Fixed
18	Coupon rate and any related index		9.644% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper		No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory		Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem		No
22	Noncumulative or cumulative		Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible		Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)		Not Applicable
25	If convertible, fully or partially		Not Applicable
26	If convertible, conversion rate		Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conv	version	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type con	overtible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument	t it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature		Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be prence of the trigger event called the "point on Trigger event shall be the earlier of:	f Non Viability Trigger". The PONV
		a) A decision that the permanent write off, with non-viable, is necessary, as determined by	

32 If write-down, full or partial  33 If write-down, permanent or temporary  34 If temporary write-down, description of write-up mechanism  35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)  36 If write-down, permanent or temporary in temporary  37 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument instrument)  38 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument instrument)  39 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument instrument)  30 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument instrument)  31 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument instrument instrument)  30 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument in liquidation (specify instrument instrument instrument)  31 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument instru
34 If temporary write-down, description of write-up mechanism  NA  35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)  NA  The claims of the Bondhold shall be (a) senior to the claim of investors in instrume eligible for inclusion in Tie capital of the Ball
35 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument instrument)  The claims of the Bondhold shall be (a) senior to the claim of investors in instrument eligible for inclusion in Tie capital of the Ball
in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)  shall be (a) senior to the clair of investors in instrume eligible for inclusion in Tie capital of the Bai
all depositors and gene creditors of the Bank; a (c) neither secured nor cove by a guarantee of the Bank related entity or of arrangement that legally economically enhances seniority of the claims vis-àcreditors of the Bank. The Bondholders shall have rights to accelerate the repayment of future schedule payments (coupon or principe except in bankruptcy a liquidation.
36 Non-compliant transitioned features No

#### INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08062
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Law
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million
		(1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	17.12.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	17.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.71% p.a. payable annually
		till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:

		a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-àvis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of
		future scheduled payments (coupon or principal) except in bank- ruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	future scheduled payments (coupon or principal) except in bank-

#### INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series IV

1	Issuer		UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)		INE691A08070
3	Governing law(s) of the instrument		Indian Law
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules		Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules		Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo		Solo
7	Instrument type		Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (	in million, as of most recent reporting date)	4000 .00
9	Par value of instrument		10 million per Bond
10	Accounting classification		Liability
11	Original date of issuance		22.03.2022
12	Perpetual or dated		Dated
13	Original maturity date		22.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval		Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount		22.03.2027
16	Subsequent call dates, if applicable		Every Year
	Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon		Fixed
18	Coupon rate and any related index		8.51% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper		No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory		Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem		No
22	Noncumulative or cumulative		Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible		Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)		Not Applicable
25	If convertible, fully or partially		Not Applicable
26	If convertible, conversion rate		Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conv	ersion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type con	vertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument	it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature		Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be prence of the trigger event called the "point or Trigger event shall be the earlier of:	
		A decision that the permanent write off, with non-viable, is necessary, as determined by	

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series V

1	Issuer		UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloom	mberg identifier for private placement)	INE691A08088
3	Governing law(s) of the instrument		Indian Law
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules		Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules		Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo		Solo
7	Instrument type		Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)		1000 .00
9	Par value of instrument		10 million per Bond
10	Accounting classification		Liability
11	Original date of issuance		31.03.2022
12	Perpetual or dated		Dated
13	Original maturity date		31.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval		Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount		31.03.2027
16	Subsequent call dates, if applicable		Every Year
	Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon		Fixed
18	Coupon rate and any related index		8.51% p.a. payable annually
			till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper		No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory		Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem		No
22	Noncumulative or cumulative		Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible		Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)		Not Applicable
25	If convertible, fully or partially		Not Applicable
26	If convertible, conversion rate		Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conve	rsion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type conv	ertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument i	t converts into	Not Applicable
30	Write-down feature		Yes
31		The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:	
		<ul> <li>a) A decision that the permanent write off, with non-viable, is necessary, as determined by</li> </ul>	

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

## INSTRUMENT: Unsecured Perpetual Non-Convertible Basel III Compliant Additional Tier-I Bonds 9.50% Series I

1			UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)		INE691A08096
3			Indian Law
	Regulatory treatment		maian Law
4	Transitional Basel III rules		Tier - I
5	Post-transitional Basel III rules		Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo		Solo
7	Instrument type		Additional Tier I
8	··	₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	C III Tillillott, as of most recent reporting date)	10 million per Bond
	r ar value of motiumone		To million per Bond
10	Accounting classification		Liability
11	Original date of issuance		17.03.2023
12	Perpetual or dated		Perpetual
13	Original maturity date		NA NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval		Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount		17.03.2028
16	Subsequent call dates, if applicable		Every Year
	Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon		Fixed
18	Coupon rate and any related index		9.50% p.a. payable annually
			till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper		No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory		Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem		No
22	Noncumulative or cumulative		Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible		Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)		Not Applicable
25	If convertible, fully or partially		Not Applicable
26	If convertible, conversion rate		Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conv	version	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type cor	nvertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument	t it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature		Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	e-down trigger(s)  The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:  a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and	

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be a) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares if any, issued by the Bank; b) subordinated to the claims of all depositors, general creditors & subordinated debt of the Bank, other than any subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as defined in the BASEL III guidelines) (c) neither be secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

# तालिका डीएफ - 14 नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्ते
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयरः असंचयी
2	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.644% शृंखला II (आईएनई691ए08054)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 28.06.2019, प्रतिदान की तारीखः 28.06.2029, सम मूल्यः ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.644% और प्रतिवर्ष 28 जुन. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 9.71% शृंखला III (आई एन ई 691ए 08062)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 16.12.2019, प्रतिदान की तारीखः 16.12.2029, सम मूल्यः ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.71% और प्रतिवर्ष 16 दिसंबर. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.51% शृंखला IV (आई एन ई 691ए 08070)	जारी प्रमात्राः ₹400 करोड़, आबंटन की तारीखः 22.03.2022, प्रतिदान की तारीखः 22.03.2032, सम मूल्यः ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः 22.03.2027 ब्याज दर और आवृत्तिः 8.51% और प्रतिवर्ष 22 मार्च. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.51% शृंखला V (आई एन ई 691ए 08088)	जारी प्रमात्राः ₹100 करोड़, आबंटन की तारीखः 31.03.2022, प्रतिदान की तारीखः 31.03.2032, सम मूल्यः ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः 31.03.2027 ब्याज दर और आवृत्तिः 8.51% और प्रतिवर्ष 31 मार्च. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत अनन्त अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित एडिशनल टियर I बांड 9.50% शृंखला I (आईएनई 691ए 08096)	जारी प्रमात्राः ₹500 करोड़, आबंटन की तारीखः 17.03.2023, प्रतिदान की तारीखः 17.03.2028, सम मूल्यः ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्पः कॉल विकल्प की तारीखः लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्तिः 9.50% और प्रतिवर्ष 17 मार्च. सूचीकरणः एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

# तालिका डीएफ - 15 <u>पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ</u>

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

# Table DF - 14 Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

SI. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II(INE691A08054)	Issue Size: Rs. 500 Crore, Date of Allotment: 28.06.2019, Date of Redemption: 28.06.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.644%, Yearly on 28th June. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
3.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III(INE691A08062)	Issue Size: Rs. 500 Crore, Date of Allotment: 16.12.2019, Date of Redemption: 16.12.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.71%, Yearly on 16th Dec. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
4.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series IV(INE691A08070)	Issue Size: 400 Crore, Date of Allotment: 22.03.2022, Date of Redemption: 22.03.2032, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 22.03.2027. Rate of Interest and frequency: 8.51%, Yearly on 22nd March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
5.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series V(INE691A08088)	Issue Size: 100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2022, Date of Redemption: 31.03.2032, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 31.03.2027. Rate of Interest and frequency: 8.51%, Yearly on 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
6.	Unsecured Perpetual Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Ad- ditional Tier I Bonds 9.50% Series I (INE691A08096)	Issue Size: 500 Crore, Date of Allotment: 17.03.2023, Date of Redemption: NA, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 17.03.2028. Rate of Interest and frequency: 9.50%, Yearly on 17th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

# Table DF - 15 Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable to Nationalised Banks.

## तालिका डीएफ-16:

### गुणात्मक प्रकटीकरण

## बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्क्ड-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर "पुँजी आरक्षित निधि" में विनियोजित किया जाता है।

### गुणात्मक प्रकटीकरण

### क) निवेशों का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य (उचित मूल्य से तत्वत भिन्न हो तो)
अनुद्धृत	198.56	198.56	लागू नहीं
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं

#### ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए) सार्वजनिक के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर,जो 2 सितंबर, 2004 की स्थित में बैंक की बहियों में मौजूद थे		198.56 0.00
और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		

#### ग. **लाभ/हानि विवरण** (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अविध के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

#### घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

व. वाक्रम वहा के लिए पूजा जापरचकता		
इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारित जोखिम दर /@ 250%	44.68
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर,2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों		
के अनुसार उन्हें उस स्प्र में धारित किया जा सकता है।	भारित जोखिम दर/@ 150%	0.00

#### Table DF - 16

## **Disclosure for Banking Book Positions**

#### QUALITATIVE DISCLOSURES

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance
  with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

#### **QUANTITATIVE DISCLOSURES**

A. Value of Investments (₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	198.56	198.56	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

#### **B.** Types and Nature of Investments

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		198.56
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank		0.00
under HTM category as on 2nd September 2004 and as per		
RBI guidelines, can be retained as such.		

#### C. Gain/ Loss Statement (₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

#### D. Capital Requirement for Banking Book

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	44.68
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines,		
can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.00

तालिका डीएफ- 17: लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना

क्र.सं.	निवेश	राशि (₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	3008629.90
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु समायोजन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र कार्रवाई से रहित	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	9325.80
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	-
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़रों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	77093.27
7	अन्य समायोजन	(74114.40)
8	लीवरेज अनुपात एक्स्पोजर	3020934.51

# तालिका डीएफ-18 लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोज़र	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित, लेकिन संपार्श्विक सहित)	3008629.90
2.	(बासेल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ)	(74114.40)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोज़र (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	2934515.50
	व्युत्पन्न एक्सपोज़र	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योग्य नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	1595.89
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	7729.88
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्रॉस-अप,	
	जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	
7.	(व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋग व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	9325.77
	प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र	
12. 13.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए) सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00 0.00
14.	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति 12 से लेकर 15 का कुल योग)	0.00
	तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र	
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र183863.90	
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(106770.63)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	77093.27
	पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20.	टियर 1 पूँजी	154344.10
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)3020934.54	
	लीवरेज अनुपात	
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	5.11%

Table DF - 17
Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure

Sr No	Particulars	Amount (₹ in Millions)
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	3008629.90
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	9325.80
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	77093.27
7	Other adjustments	(74114.40)
8	Leverage ratio exposure	3020934.51

Table DF - 18

Leverage ratio common disclosure template

	Amount (₹ in Millions)
On-Balance sheet exposure	
On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3008629.90
(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(74114.40)
Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2934515.50
Derivative exposure	
Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1595.89
Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	7729.88
Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-
	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)  (Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)  Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)  Derivative exposure  Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)  Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions  Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework  (Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in

Sr No	Item	Amount (₹ in Millions)
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	9325.77
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	183863.90
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(106770.63)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 177093.27	
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	154344.10
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3020934.54
	Leverage ratio	
22	Basel III leverage ratio	5.11%